कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग)

।। आदेश ।।

क्रमांक– **101**/दो–11–9/2003 दंतेवाड़ा, दिनांक– 30/07/2024

इस जिला स्थापना द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 01/चयन समिति/2023 दिनांक 10.07.2023 के परिपेक्ष्य में चयन समिति की अनुशंसा के अनुरुप नीचे उल्लेखित **प्रतीक्षा सूची** के अभ्यर्थियों को **सहायक ग्रेड–तीन** के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रुप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	चयनित अभ्यर्थियों के नाम	पिता/पति का नाम	निवास का पता	चयनित संवर्ग
1.	श्री प्रतीक कुमार	श्री चैतू राम	वार्ड नं.– 07, ठाकुरपारा, तखतपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495330	अनुसूचित जनजाति प्रतीक्षा सूची वरिष्ठता क्रमांक–01
2.	श्रीमती दिल बाई	श्री शांता सिंह	ग्राम– बुढ़ियापाली, पो.आ.– सोहागपुर, तहसील– करतला, जिला– कोरबा (छ.ग.), पिन कोड–495671	अनुसूचित जनजाति प्रतीक्षा सूची वरिष्ठता क्रमांक–02
3.	श्री प्रकाश चन्द्र घरत	श्री श्याम नाथ घरत	ग्राम– माड़पाल, पो.आ.– माड़पाल, तहसील– जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग.) पिन कोड–494001	अनुसूचित जनजाति प्रतीक्षा सूची वरिष्ठता क्रमांक–01 (दिव्यांग संवर्ग से)

//नियुक्ति की शर्तें//

1. यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक (Provisional) है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
2. चयनित अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अन्यत्र सेवारत अभ्यर्थी को अपने विभाग/संस्था/कार्यालय का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
5. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

6. चयनित अभ्यर्थी को उसके विरुद्ध यदि कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज हो या उसे किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध किया गया हो, तो इस संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

8. चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् किसी राजनीतिक दल एवं उसके क्रिया–कलाप से संबंध नहीं रखेगा तथा किसी असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेगा।

9. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की अनुमति के बिना अन्य किसी पद के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा तथा अध्ययन जारी नहीं रख सकेगा।

10. नियुक्त कर्मचारी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायिक जिले के बाह्य न्यायालयों एवं अनुभागों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा उभयपक्ष द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

12. चयनित अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः दिनांक **16/08/2024 के समय प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे** तक पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उसकी यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।

(हस्ताक्षर) 14/8/2024

(विजय कुमार होता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)